

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 1049 / 2014

संस्थि दिनांक-12.11.2014

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर अभियोजन

विरुद्ध

परसराम पिता विशालसिंह उईके, उम्र-39 वर्ष,

निवासी-बन्ना, थाना बैहर,

जिला बालाघाट म.प्र. आरोपी

निर्णय

(आज दिनांक-13.12.2014 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास एवं 500/-रुपये (शब्दों में पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा शराब विधिवत नष्ट की जावे।

बैहर

दिनांक-13.12.2014

(सिराज अली)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला-बालाघाट